

भाग-III

जनपद— बागेश्वर में घटगाड़ से पगना तक मोटर मार्ग

लम्बाई 07.400 किमी०

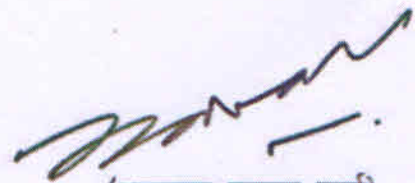
(प्रस्ताव संख्या 151674 / 2022)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:— 18.05.2023।

स्थान:— अल्मोड़ा।



(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3184 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/05/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- बागेश्वर में घटगाड़ से पगना तक मोटर मार्ग प्रस्ताव सं० FP/UK/ROA
151674/2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव की 03 हार्ड कॉपियां Part-I, Part
and Part-III सहित संलग्न कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय



(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।